

**मंडल की 1 नवंबर 2019 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय**

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	167	वार्षिक लेखा, 2018-19 पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट.	महानिदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल-I, मुंबई द्वारा प्रमाणितनुसार वार्षिक लेखा 2018-19 साथ में महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 103(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक द्वारा अग्रेषित उसपर लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा इसी की धारा 104 के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए इसपर की गयी कार्यवाई नोट को अनुमोदित किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
2.	168	मंडल की 24 सितंबर, 2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि.	मंडल की 24.9.2019 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
3.	169	1.10.2012 से 30.9.2017 तक के दरमानों में संशोधन.	विचार-विमर्श आस्थागित.	सम्पदा
4.	170	प्रशासनिक रिपोर्ट - 2018-19.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 106 के संदर्भ में सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रशासन रिपोर्ट 2018-19 को अनुमोदित किया जाता है.	सामान्य प्रशासन
5.	171	लोहे एवं इस्पात कार्गो के आयात/तटीय परेषण हेतु रियायती भंडारण में विस्तार.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
6.	172	कन्टेनरों पर आयात कार्गो एवं लायसंस पर विलंब शुल्क की उगाही के लिए विस्तारित निःशुल्क दिन.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
7.	173	निविदा सं. टीएम/बीडीआर/01/2019-मुंबई हार्बर में जहाजों/जलयानों/बार्जों आदि में जलापूर्ति के लिए लकड़ी बंदर (उत्तर) में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येकी 50	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
		वर्गमीटर के 4 भूखण्डों को मिलाकर 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के क्षेत्र को लायसंस पर देने के लिए ई-निविदा.		
8.	174	प्रिंसेस एवं व्हिक्टोरीया गोदी, यातायात कार्यालय भवन, दूसरा माला के वर्तमान कार्यालय स्थान के बदले में हमालेज भवन के चौथा माला पर पूर्वी स्कंध में सीमाशुल्क के लिए कार्यालय स्थान का आबंटन.	(i) हमालेज भवन में सीमाशुल्क कार्यालय हटाने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है. (ii) जहाँ तक भाडे में 75 प्रतिशत रियायत का संबंध है, मामले में पोत परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श करके उचित अवधि में निर्णय लिया जायेगा. तबतक बड़े बकाया पर विचार करते हुए सीमाशुल्क कुल बिल का कम से कम 25 प्रतिशत का तत्काल निपटान करे.	
9.	175	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन विनियम के विनियम 8 के अन्तर्गत श्री. पीतांबर बी. सिंह, पूर्व विंच ड्रायवर, वेज सं.548, पंजीकरण सं.10011, ओबीएल, मुंपोट्र (1.8.2015 से मुंपोट्र सेवा से सेवानिवृत्त) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) श्री पीताम्बर बी. सिंह, पूर्व जहाज क्रेन चालक, ओबीएल को भुगतान किये मासिक पेंशन राशि से 10,000 रुपये प्रतिमाह के तीन बराबर किस्तों में 30,000 रुपये की राशि वसूल करने को. (ii) श्री पीताम्बर बी. सिंह की सुधारित कारण बताओ नोटिस जारी करने को.	यातायात
10.	176	3.10.2019 से सुधारित दरमानों को देखते हुए सीएफएस/गोदियों में कन्टेनरों की सम्वहलाई के लिए रियाअती संयुक्त बाक्स दरों के विस्तार में सुधार.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
11.	177	महाराष्ट्र में आम विधान सभा चुनाव, 2019 के कारण 21.10.2019 को अवकाश की घोषणा.	गोदी उप नियम सं.118 के उद्देश्य के लिए 21.10.2019 को बंदी अवकाश के रूप में मानने को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जाती है.	सामान्य प्रशासन

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
12.	178	अध्यक्ष के वरि. निजी सचिव के वेतनमान 24900-50500 रुपये (पूर्वसुधारित 13000-18250 रुपये) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम 2010 के अन्तर्गत अनुलग्नक II में यथा प्रस्तुत अध्यक्ष के वरि. निजी सचिव के संबंधित भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इसी की धारा 124(1) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन
13.	179	ओपीएल, एमओटी-जेडी के ऑयल पाइपलाइनों, सर्विस लाइनों और अग्निरोधी लाइनों तथा ओपीएल, एमओटी-जेडी एवं पीरपॉव के सपोर्टों की रंगाई.	निम्न को अनुमोदन प्रदान किया जाता है- (i) प्रस्ताव की जाँच के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, श्री डी. के. सिंह तथा श्री मनोज केडिया को शामिल करके एक समिति गठित करने तथा मामले में निर्णय लेने को. (ii) मुख्य यांत्रिक अभियंता द्वारा नयी टेक्नोलॉजी पेंटिंग के बारे में नौसेना तथा रेलवे के संबंधित अधिकारियों के दृष्टिकोण संबंधी विस्तृत रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करने को.	यांत्रिकी
14.	180	अभिलाषा नगर, रे रोड तथा राजस नगर, कॉटनग्रीन स्थित बेमरम्मत ईमारतों को गिराना.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
15.	181	सरकारी/सार्वजनिक सहभाग पर चिकित्सा कॉलेज विकसित करने तथा अस्पताल के और विस्तार के विकल्प के साथ 600 बिस्तरोंवाला उच्च विशिष्टतायुक्त अस्पताल की आस्थापना के लिए प्रारूप रिआयत करारनामा में प्रस्तावित संशोधन करना / जोड़ना.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
16.	182	झोडियाक हिलोट्रानिक्स प्रायवेट लि. के कागजात, 3 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षरित रिआयत करारनामा का निष्पादन पाठ तथा सरकारी सार्वजनिक सहभाग पर	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
		चिकित्सा कॉलेज विकसित करने तथा अस्तपताल के आगे विस्तार के विकल्प के साथ 600 बिस्तरोंवाले उच्च विशिष्टतायुक्त अस्पताल की आस्थापना के लिए आय.डी. अधिनियम 1947 की धारा 12(3) के अन्तर्गत दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 का समझौता ज्ञापन.		
17	183	"ग्रुण्ड पोर्ट अस्पताल" के रूप में अस्पताल की ब्रैंडिंग.	अस्पताल का नाम "ग्रुण्ड मुंबई पोर्ट अस्पताल" के रूप में ब्रैंड करने तथा सुविधाग्राही को एक शब्द जोड़ने, यदि वे चाहते हैं, की अनुमति देने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	चिकित्सा
18.	184	सरकारी सार्वजनिक सहभाग चिकित्सा कॉलेज विकसित करने एवं अस्पताल के आगे विस्तार के विकल्प के साथ 600 बिस्तरोंवाला उच्च विशिष्टतायुक्त अस्पताल की आस्थापना के लिए सुविधाग्राही मंडल में गैर सेवानिवृत्त निदेशक के रूप में नियुक्ती हेतु नामांकन.	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
19.	185	मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नती) विनियम, 2010 - सहा. सचिव श्रेणी. I, चिकित्सा अधिकारी, सहा. यातायात प्रबंधक श्रेणी I, सहा. कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी एवं विद्युतीय), सहा. कार्यकारी अभियंता (दूरसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा सहा. कार्यकारी अभियंता (सिव्हील) और समकक्ष पदों के लिए विनियम 9 तथा विनियम 11 और भर्ती नियम में संशोधन.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठित मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत टिप्पणी के परिच्छेद 4.1 तथा 4.2 के नुसार प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इसी की धारा 124(i) के अन्तर्गत सरकार की मंजूरी मिले.	मानव संसाधन
20.	186	कृषि उत्पादों के निर्यात पर विलंब शुल्क की रियायती दरें.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
21.	187	एमओटी-जेडी स्थित 22 केव्ही के मेन इलेक्ट्रीक पावर आपूर्ति में बिघाड़.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	
22.	188	निविदा सं. ई. 67/2019 - मुंबई पोर्ट में विभिन्न परियोजनाओं के लिए त्वरित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, जोखिम, मूल्यांकन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना साथ में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल / सीआरझेड तथा पर्यावरण अनुमति प्राप्त करना जारी रखना.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 की निविदा समिति की सिफारिशें अनुमोदित की जाती है.	स्थापत्य
23.	189	जवाहरद्वीप (जेडी) के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार-विमर्श. -भूमि आबंटन समिति द्वारा बीपीसीएल के व्यवसाय में 38543 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि का पट्टा, ओएनजीसी को 2600 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि किराया पर देने, साथ में बीपीसीएल के लिए एचयुटी, बीयुटी एवं एमयुटी पाइप लाइन तथा 28328 वर्गमीटर क्षेत्रफल के प्रस्तावित विलीनीकरण संयंत्र का नवीनीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता एवं विभाग प्रमुख (सम्पदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	सम्पदा
24.	190	निविदा सं. सीई.टी.06/2017 - इंदिरा गोदी में डामर सामग्री के साथ सतह समतल करना तथा विभिन्न खुले भंडारण यार्डों तथा घाटों पर मलजल निकासी प्रणाली की मरम्मत करना/बदलना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
25.	191	जुलाई, 2005 महीने में बाढ़ द्वारा प्रभावित कर्मचारियों को प्रदान की गयी बाढ़ राहत अग्रिमों की वसूली नहीं होने के कारण दावा में बीच का रास्ता निकालना.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
26.	192	दरमानों का सुधार/समीक्षा.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात

अनु. क्र.	संकल्प संख्या	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
27.	193	निविदा सं. एमईईडी. 10/2018 - पीरपॉव (पीपी) तथा जवाहर द्वीप (एमओटी-जेडी) स्थित वर्तमान अग्निरोधक प्रणाली की पुनःमरम्मत करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
28.	194	नेरुल में यात्री जल टर्मिनल के विकास के लिए प्राक्कलन को मंजूरी - यात्री जल टर्मिनल को जानेवाले चॅनल के लिए महत्वपूर्ण निकर्षण कार्य - एस एवं ओ प्रभागों को माफ करना.	सिडको से एस एवं ओ प्रभागों को वसूल नहीं करने को अनुमोदन प्रदान किया जाता है.	स्थापत्य
29.	195	फोर्कलिफ्टों, मोबाइल क्रेनों, टीएलटी/रीच स्टेकर, जेसीबी/इक्सकेवेटर के लिए पार्किंग शुल्क.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
30.	196	श्री. सुनील राणे, पूर्व न्यासी का अभिनन्दन.	अभिलिखित	सामान्य प्रशासन

-----

C6/Pro 1 November 2019/actiontaken20191101